एक नजर में

गौवंश सुपुर्दगी पर यथास्थिति के निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस आरके वाणी की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए गौवंश की सुपुर्दगी पर यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया कि लंबित पुनरीक्षण याचिका का गुण-दोष के आधार पर 30 दिनों के भीतर निर्णय किया जाए। दरअसलए 10 मई 2026 की रात बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अमाटोला रोड स्थित अंबेडकर चौक पर कार्रवाई करते हुए छह पिकअप वाहन पकड़े थे। पुलिस के मुताबिक वाहनों में 48 गौवंशों को कथित रूप से क्रूरता पूर्वक भरकर महाराष्ट्र स्थित स्लाटर हाउस ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान गौवंश जब्त कर वैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 मई 2026 को गौवंशों की सुपुर्दगी का आदेश पारित कर दिया। इस आदेशों को चुनौती देते हुए गौवंश रक्षण समिति वारासिवनी के प्रशासक अभिषेक सुराना ने पुनरीक्षण याचिका दायर की।

6 महीने से अधूरे पड़े रोड के लिए कलेक्टर को ज्ञापन

नीमच। मंगलवार को जनसुनवाई में वार्ड नंबर 28 हुड़को कॉलोनी के वल्लभ भवन से लेकर साहिब बुटीक तक करीब 350 सौ मीटर 6 महीने से अधूरे पड़े रोड के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया विगत 6 महीने से रोड अधूरा पड़ा हुआ है आमजन परेशान हो रहे हैं कितने ही दो पहिया वाहन यहां पर स्लिप होकर गिर गए हैं पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है जिम्मेदारों को कितनी बार मोहल्ले वासियों द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा अवगत कराया गया मगर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब ने यही आश्वासन दिया बहुत जल्दी कर देंगे मगर आज तक कुछ नहीं हुआ है। जनसुनवाई के द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा फिर 15 दिन का आश्वासन दिया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि चुना ही इसीलिए जाता है कि आम जनता की संबंधित समस्याओं का निदान करें मगर आज तक लोगों की परेशानियों को देखते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया गया इसी रोड पर रोजाना जैन समाज की साध्वियां नंगे पांव गुजरती है मगर उनकी तप और तपस्या को भी नजरअंदाज किया जाता है। इसीलिए मजबूर होकर जनसुनवाई में आवेदन दिया गया इस अवसर पर राकेश अहीर जगदीश पुनर नितिन हसीजा एवं अन्य साथी उपस्थित थे।

महिला किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए किया प्रेरित

आलीराजपुर। देशभर में चल रहे प्राकृतिक खेती अभियान के बीच आलीराजपुर की सांसद अनिता नागर सिंह चौहान ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए स्वयं प्रशिक्षु छात्रा बनकर ग्रामीण महिला किसानों के साथ प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाली जैविक खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग की विधियों को समझने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आलीराजपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।

30 पेटी अवैध शराब सहित लक्जरी कार जब्त

पेटलावद। झकनावद में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में झकनावदा पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 पेटी अवैध लाल देशी मसाला शराब से भरी एक लक्जरी कार गाड़ी नंबर जीजे 05 सीएस 3015 को बिजोरी - रूपाखेड़ा मार्ग से जब्त किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और पेटलावद एसडीओपी अनुरक्ति शबनानी के साथ ही रायपुरिया थाना प्रभारी गीता जाटव के नेतृत्व में झकनावदा चौकी प्रभारी सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया ने सोमवार-मंगलवार की अल सुबह 6 बजे करीब मुखबीर से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि एक चार पहिया वाहन लक्जरी कार में बड़ी मात्रा में अवैध लाल देशी मसाला शराब, कुल 30 पेटी,270 लीटर करीब कुल कीमत डेढ़ लाख की परिवहन की जा रही है।

हर दिन 90 लाख बढ़ी भोपाल मेट्रो की लागत

कैबिनेट ने दी परियोजना के लिए 10033 .62 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी

- साढ़े 9 वर्ष में 3092 .22 करोड़ रुपए लागत बढ़ी
- दिसंबर 2016 में परियोजना को मिली थी हरी झंडी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. बड़ी सरकारी परियोजना में देरी का नतीजा क्या होता है, ये भोपाल मेट्रो परियोजना से समझा जा सकता है. इस परियोजना में देरी के चलते प्रतिदिन 90 लाख रुपए से अधिक की लागत बढ़ गई है. यदि हर माह का औसत देखें तो प्रतिमाह 27 करोड़ रुपए से अधिक लागत बढ़ी है. मंगलवार को कैबिनेट ने परियोजना की संशोधित लागत को हरी झंडी दे दी है.

कैबिनेट ने परियोजना के लिए 10033.42 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दी है, जब इस परियोजना को दिसंबर 2016 में अनुमति मिली थी, तब परियोजना के लिए 6941.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन परियोजना में लगातार देरी के चलते लागत लगातार बढ़ती रही, अब इस परियोजना की लागत 3092.22 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है. कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने स्वीकार किया कि परियोजना में देरी हुई है, इसके लिए उन्होंने कोरोना काल, भू-अर्जन प्रक्रिया में देरी और जमीन संबंधी विवादों को जिम्मेदार ठहराया. ये परियोजना निर्धारित समय से सात माह की देरी से चल रही है. अगले चरण का काम जून 2028 में पूरा करने का नया टारगेट रखा गया है. दूसरे चरण में भदभदा से रत्नागिरी ट्रेक का काम होना है, जिसकी लंबाई 12.88 किमी है. हांलाकि अक्टूबर 2023 में पहले फेज का ट्रायल रन पूरा किय गया था, वहीं 21 दिसंबर 2025 को आम लोगों के लिए सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो का कामर्शियल रन शुरू हो गया था.

> कैबिनेट ने इसके अलावा उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के मुताबिक परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532 करोड़ 22 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी है, इसमें भारत शासन और राज्य शासन द्वारा 995 करोड़ 9 लाख रूपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 84 करोड़ 54 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्तपोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 1,620 करोड़ 64 लाख रूपये का अतिरिक्त पीटीए/आंतरिक ऋण, मप्र शासन से भूमि की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 138 करोड़ 38 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण तथा मप्र शासन से राज्य करों के लिए 446 करोड़ 35 लाख रूपये एवं आईडीसी की लागत के लिए 246 करोड़ 41 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान शामिल है.

भारत 2047 के लक्ष्य में विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण : तोमर

भोपाल, 09 जून. मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दृढ़ता, प्रतिबद्धता और जनजागरूकता आवश्यक है तथा इस दिशा में विधायकों और विधायिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.

विस अध्यक्ष तोमर हरियाणा विधानसभा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के जोन-दो सम्मेलन में 'विकसित भारत-2047 : जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए दूरदृष्टि के साथ कार्य करने की आवश्यकता है. देश के उन क्षेत्रों और वर्गों तक विकास की सोच पहुंचानी होगी, जहां अभी भी अभाव और चुनौतियां मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि जनजागरूकता बढ़ने पर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आधी लड़ाई स्वत: जीत ली जाएगी. उन्होंने ने कहा कि विधायक जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं. यदि जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें और समाज को जागरूक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, तो विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है.

युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना समय की आवश्यकता

तोमर ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक चेतना और नागरिक जागरूकता भी जरूरी है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ युवा आबादी वाला देश है और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना समय की आवश्यकता है. सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी उपस्थित थे. इससे पूर्व हरियाणा विधानसभा में लोकतंत्र दीर्घा का उद्घाटन किया गया.

अवैध बोरवेल खनन पर मशीनें जब्त

रतलाम। तहसील आलोट के ग्राम झांगरिया में अवैध रूप से नलकूप खनन किए जाने की सूचना पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मौके से बोरवेल मशीन एवं कंप्रेशर मशीन जब्त की है। कार्रवाई के बाद संबंधित मामले में पुलिस थाना आलोट में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एसडीएम आलोट रचना शर्मा ने बताया कि अवैध नलकूप खनन की शिकायत मिलने पर प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में बिना अनुमति नलकूप खनन किए जाने की पुष्टि होने पर मशीनरी को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना आलोट को भेजी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

भोजशाला पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा पूजा-अर्चना कर महाआरती में हुए शामिल

धार, 09 जून. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा आज मंगलवार को धार स्थित भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की, महाआरती में भाग लिया और भोज उत्सव समिति द्वारा आयोजित सासाहिक सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल हुए.

शर्मा ने भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी (सरस्वती) के चित्र का विधि-विधान से पूजन किया तथा सुंदरकांड पाठ में भी सहभागिता की. इस अवसर पर भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें भोजशाला के ऐतिहासिक महत्व, प्राचीन स्थापत्य और स्तंभों पर अंकित आकृतियों के संबंध में जानकारी दी.हिंदू समाज को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि भोजशाला मां सरस्वती का प्राचीन और पावन मंदिर है तथा इसके संरक्षण और पहचान के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चले प्रयासों के बाद ऐतिहासिक तथ्यों को मान्यता मिली है.मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को आपसी सद्भाव और संवाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए.

भोजशाला के विकास संबंधी योजनाओं का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि पुरातत्व विभाग के नियमों के अनुरूप परिसर और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय स्तर पर सुझाव लेकर आगे की योजना बनाई जाएगी.

नौकरी के लिए दो बच्चों की सीमा समाप्त

सीएम ने दिए निर्देश नियम को निरस्त करें

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 जून. राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है. साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे, उसके बाद आनन-फानन में इस नियम को निरस्त कर दिया गया है.

गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान था. वर्ष 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था. मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिये है कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के प्रारूप को तत्काल निरस्त कर उसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र माने जाने संबंधी प्रावधानों को विलोपित कर पुन: विधिवत यह नवीन प्रारूप प्रकाशित किया जाये.

गायब होने की चर्चाओं के बीच कमलेश्वर डोडियार का सोशल मीडिया पर जवाब

- राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले— 'दल्लों-गल्लों के सवालों का जवाब नहीं दूंगा'

नवभारत न्यूज

सैलाना। राज्यसभा चुनाव के बीच सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के फोन बंद होने और उनके 'लापता' होने की चर्चाओं के बीच उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

फेसबुक पर की गई पोस्ट में विधायक डोडियार ने लिखा कि, 'मेन स्ट्रीम मीडिया को सूचित करता हूँ कि राज्यसभा चुनाव के बारे में 18 जून को ही बताऊंगा कि मैंने वोट किसको दिया?' इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'और हाँ दल्लों और गल्लों के सवालों का जवाब नहीं दूँगा। हमें सुझाव देने वाले दल्लों को पहले पंच या पार्षद बनना चाहिए।'

विधायक की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है और विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही थी।

बताया जा रहा है कि विधायक के संपर्क में नहीं होने और फोन बंद रहने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसी बीच डोडियार ने अपनी पोस्ट के माध्यम से आलोचकों और सुझाव देने वालों पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने संकेत दिया कि राज्यसभा चुनाव में उनके मतदान संबंधी निर्णय की जानकारी 18 जून के बाद ही सार्वजनिक करेंगे।

विधायक की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वहीं, उनके समर्थक इसे आलोचनाओं का करारा जवाब बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल और राजनीतिक पर्यवेक्षक चुनावी समीकरणों के संदर्भ में इसके अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं।

छिंदवाड़ा कफ सीरप मामला : हाईकोर्ट से डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज

20 से अधिक बच्चों की हुई थी मौत

जबलपुर, 9 जून. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सीरप कांड में आरोपी बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एसएस ठाकुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।

आवेदक परासिया निवासी डॉ. ठाकुर ने दावा किया था कि वे 45 वर्षों से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें कफ सीरप में मिलावट की कोई जानकारी नहीं थी और न ही निर्माता या वितरक से उनका कोई संबंध था। उनका कहना था कि बच्चों की मौत प्रतिबंधित दवा से नहीं, बल्कि सीरप में पाए गए जहरीले तत्व डायथिलीन ग्लाइकोल के कारण हुई। राज्य शासन की ओर से जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित दवा लिखना गंभीर लापरवाही का परिचायक है। मामले में प्रारंभिक साक्ष्य मजबूत हैं तथा आरोपी की भूमिका अत्यंत गंभीर है। ऐसे संवेदनशील प्रकरण में जमानत से जनविश्वास प्रभावित होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों के बावजूद चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवा लिखी गई.

एनडीए की महाबैठक आज, मोदी सरकार के 12 साल पर मंथन

- भारत मंडपम में जुटेंगे एनडीए नेता, भविष्य की रणनीति पर चर्चा
- संगठनात्मक विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली, 09 जून. केंद्र की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बुधवार को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में अपनी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रहा है. दोपहर तीन बजे होने वाली इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे.

राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक का प्रमुख एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपलब्धियों की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति तैयार करना है. सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न राज्यों में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है.

चंबल में 250 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट

2 जेसीबी और 3 लोडर से रेत के ढेर हटवाए

मुरैना, 9 जून. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राजस्व, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने चंबल नदी किनारे डंप की गई करीब 250 ट्रॉली रेत को नष्ट कर दिया. कार्रवाई के दौरान 2 जेसीबी, 3 लोडर और लगभग 25 अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे.

प्रशासन को लंबे समय से चंबल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं. सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान शुरू किया. इसी क्रम में पिपरई और विंडवा गांव के आसपास अवैध रूप से जमा रेत के भंडारण स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई. अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई रेत की अनुमानित कीमत करीब 5.50 लाख रुपये है. प्रशासन का कहना है कि अवैध उत्खनन से शासन को राजस्व हानि होती है और नदी के प्राकृतिक स्वरूप को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरती जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चंबल क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इनका कहना है...

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने कहा, 'अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. पिपरई और विंडवा गांव में की गई कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे.'

लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा

नवभारत न्यूज

जावरा। क्षेत्र के विकास और अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। सेतु विभाग की घोर लापरवाही के खिलाफ गुरुवार को सुबह 7: 30 बजे से असावती में एक विशाल और अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा।

इस आंदोलन में असावती सहित भड़का, शक्करखेड़ी, आनाखेड़ी, बोरवनी, एरवास, माधोपुर, मेलुखड़ी सहित दर्जनों गांवों के सैकड़ों नागरिक सड़कों पर उतरेंगे। यह विरोध प्रदर्शन ताल-मंदसौर और जावरा-सीतामऊ रोड पर चंबल नदी की पुलियाओं (महादेव खाल, भड़का खाल एवं रोला खाल) के अधूरे निर्माण के खिलाफ है। बताते चले कि, चंबल नदी की इन तीनों महत्वपूर्ण पुलियाओं का निर्माण कार्य पिछले 12 सालों से अधूरा पड़ा है। इतने लंबे समय के बाद भी सेतु विभाग इसे पूरा कराने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थीं।

नतीजा यह है कि नदी में खड़े किए गए पिलर (थम्बे) अब पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे। क्षेत्र की त्रस्त जनता ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यह चक्का जाम तब तक अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, जब तक कि सेतु विभाग एवं प्रशासन के वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर काम शुरू कराने का ठोस व लिखित आश्वासन नहीं देते।

एक नजर में | लोकायुक्तकार्रवाई से दूसरों की पेंशन अटकाने वाले की खुद की पेंशन पर संकट

पेंशन के नाम पर रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

जावरा। भ्रष्टाचार के दीमक से खोखले हो रहे सिस्टम की एक और घिनौनी तस्वीर जावरा में सामने आई है। जहाँ एक सेवानिवृत्त शिक्षक को अपनी ही जीवन भर की गाडी कमाई (पेंशन) पाने के लिए दर-दर भटकना पड रहा था। लेकिन उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने इस अवैध वसूली का भंडाफोड करते हुए शिक्षा विभाग के एक बाबू को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक बडा और चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी बाबू इससे पहले 15,000 रुपये ऑनलाइन भी ले चुका था। अब जांच का सबसे बडा विषय यह है कि आखिर किसके इशारे पर यह अवैध वसूली का गोरखधंधा चल रहा था?। भ्रष्टाचार के इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा गया आरोपी बाबू अनिल वर्मा अगले ही साल यानी 2027 में सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाला था। रिटायरमेंट से ठीक एक साल पहले चंद रुपयों के लालच ने न सिर्फ उसके पूरे सेवाकाल पर भ्रष्टाचार का गहरा दाग लगा दिया है, बल्कि अब उसकी खुद की पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ भी खटाई में पड सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के रिटायरमेंट के कागज़ात रोककर अवैध वसूली कर रहा था, अब उसका अपना रिटायरमेंट सलाखों के साये में घिर गया है।

रिटायरमेंट प्रमाण पत्र और पीपीओ के एवज में मांगी थी घूस

यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के सख्त निर्देशों और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार यादव के प्रभावी मार्गदर्शन में की गई। शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण लोट (सेवानिवृत्त उच्च माध्यमिक शिक्षक, शा. उ.मा.वि. हाटपिपल्या, ब्लॉक जावरा) ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और पी.पी.ओ. जारी करवाने के एवज में जावरा स्थित शासकीय कन्या उ.मा.वि. कमला नेहरू संकुल केंद्र का सहायक ग्रेड-2 (बाबू) अनिल वर्मा लगातार रुपयों की मांग कर रहा था।